बिहार-सरकार

समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

पत्रांक :– ICDS/40010/10-2017...286/...830 **दिनांक : 27/05/19**

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय :- समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं में ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका-2019 अधिसूचित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं में ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका 2015 (शहरी) एवं 2016 (ग्रामीण) को विलोपित करते हुये नई मार्गदर्शिका-2019 अधिसूचित की जाती है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

उक्त मार्गदर्शिका पूर्व विज्ञापित केन्द्रों को छोड़कर निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी, जिसके अनुरूप बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं में ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- **ICDS/40010/10-2017...286/...830...** **दिनांक** ..27/05/19...

प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी वार्ड सदस्य/सभी वार्ड पंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी वार्ड आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
समाज कल्याण विभाग

समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2019

ऑगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन हेतु पूर्व में निर्गत की गई मार्गदर्शिका को विलोपित करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में ऑगनबाड़ी केन्द्रों के सफल संचालन हेतु नई मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से अधिसूचित की जाती है-

1. <u>परिभाषाएँ</u> - इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में हो अन्यथा अपेक्षित ना हो-

(क) "आँगनबाड़ी केन्द्र" से अभिप्रेत है आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गाँव/टोलों/ वार्ड अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर निर्धारित चौहद्दी में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र।

(ख) "सेविका/सहायिका" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका/सहायिका के कार्य हेतु चयनित महिला।

(ग) "वार्ड सदस्य/पंच" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित वार्ड सदस्य/पंच।

(घ) "वार्ड आयुक्त" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबन्धों के अधीन किसी नगर निगम, नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के किसी वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) का निर्वाचित वार्ड आयुक्त।

(ड) "वार्ड की आम सभा" से अभिप्रेत है किसी वार्ड अंतर्गत स्थित ऑगनबाड़ी केन्द्र हेतु ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए उस केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी वयस्क सदस्यों की आम सभा।

(च) "कोरम" (Quorum) से अभिप्रेत है -

(i) वार्ड के आम सभा के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज वयस्क महिला एवं पुरूष की संख्या के कम से कम 10% व्यक्तियों की उपस्थिति।

(ii) चयन समिति के संदर्भ में चयन समिति के सदस्यों में से दो सदस्यों की उपस्थिति लेकिन सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(छ) "बाहुल्य वर्ग" से अभिप्रेत है आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु.जनजाति, अनु.जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित), पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) तथा सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)।

(ज) "चयन समिति" से अभिप्रेत है किसी वार्ड में ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत के वार्ड सदस्य (अध्यक्ष), वार्ड पंच (उपाध्यक्ष) एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड आयुक्त (अध्यक्ष), संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनित सदस्य (पर्यवेक्षकीय स्तर के सरकारी कर्मी) उपाध्यक्ष एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षिका (सदस्य सचिव) शामिल है।

(झ) "पोषक क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी आंगनवाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र और इसमें मैपिंग पंजी में शामिल परिवारों का ही घर होगा।

(ट) "मैपिंग" से अभिप्रेत है पंचायत चुनाव/ नगर निकाय चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचनाओं का सृजन एवं संधारण।

2. <u>मैपिंग</u> - किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र की मैपिंग संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा पंचायत चुनाव/नगर निकाय चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर संबंधित वार्ड अंतर्गत पोषक क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में निम्न वर्णित प्रपत्र में घर-घर जाकर सूचनाओं का सृजन किया जायगा। मैपिंग के क्रम में किसी भी परिस्थिति में पोषक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र हेतु)/वार्ड (ग्रामीण क्षेत्र) की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना है।

मैपिंग प्रपत्र **दिनांक –**

क. सं.	ऑगन बाड़ी केन्द्र का नाम	संबद्ध गाँव/टोले / मुहल्ले का नाम/ वार्ड संख्या	ऑ.के. के सेवा क्षेत्र की चैहद्दी उत्तर...... दक्षिण... पूरब...... पश्चिम..,	परियार के मुखिया का नाम	पिता/पति का नाम	पंचायत/नगर निकाय के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची गृह सं०	पंचायत/नगर निकाय के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची क्रम सं०	आरक्षण कोटि अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ अ.पि.व./पि.व./सामान्य (जाति का नाम सहित)	लाभुक परिवार के सदस्यों की संख्या								अभ्युक्ति
									वयस्क सदस्यों की संख्या		7-18 साल के किशोरी की संख्या		0-3 साल के बच्चों की सं0		3-6 साल के बच्चों की सं0		
									पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर (ग्रामीण क्षेत्र) महिला पर्यवेक्षिका का नाम एवं हस्ताक्षर

वार्ड आयुक्त का नाम एवं हस्ताक्षर (शहरी क्षेत्र हेतु)

मैपिंग पंजी को अंतिम रूप देने के पूर्व महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा इसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय/वार्ड/पंचायत कार्यालय/वार्ड आयुक्त/नगर निकाय/परिषद कार्यालय/ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एक सप्ताह तक प्रकाशित किया जायेगा एवं आपत्तियों का निराकरण एक सप्ताह में करने के पश्चात् उसे अंतिम रूप दिया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। मैपिंग पंजी में किसी परिवार के छूट जाने पर महिला पर्यवेक्षिका को जिम्मेवार माना जायेगा जिसके लिए उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

3. <u>सेविका/सहायिका के लिए उम्र</u> - ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जायेगा। ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जायेगी।

4. <u>शैक्षणिक योग्यता</u> - ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी।

ऑगनवाड़ी सहायिका के लिए न्युनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगी। आंगनवाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के विधवा

उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी। ऑगनवाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हताऐं ऑगनवाड़ी सेविका के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप होगीं।कोई भी आवेदिका यदि साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति देती है तो वह स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिये।

5. <u>मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता</u> - ऑगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड (ग्रामीण क्षेत्र)/पोषक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा। यदि आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्ति वाले वार्ड (ग्रामीण क्षेत्र)/पोषक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) में है और वह वहाँ रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया है तो उनका या उनके पति या श्वसुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव /अंतिम नगर निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव/ पूर्ववर्ती नगर निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए।

6. <u>अयोग्यता</u> - आवेदिका जिनकी आय 12000/- (बारह हजार) रू. या उससे ज्यादा है/जनप्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता चयन के लिए अयोग्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो तो उसे भी ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया जायेगा।

7. <u>आवेदन पत्रों की प्राप्ति</u> - आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जायेगा जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा। विज्ञापन में आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की अर्हताओं एवं वार्ड की आम सभा के स्थान/तिथि/समय का उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएगें जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है (परिशिष्ट-1)।

साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसीदिन (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

सेविका/सहायिका चयन हेतु यदि चयनसमिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के द्वारा पदासीन रहने के बावजूद आम सभा की पहली तिथि अथवा दूसरी तिथि को बैठक नहीं की जाती है अथवा चयन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा आम सभा का दो बार आयोजन होने के बाद किसी कारण से यदि चयन कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा एक विशेष आम सभा की तिथि निर्धारित की जायेगी, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी/उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

8. <u>कोरम (Quorum)</u> - महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु बुलाई गई आमसभा की पंजी तैयार की जायेगी जिसमें मैपिंक पंजी के कम-से-कम 10 प्रतिशत वयस्कों की उपस्थिति से कोरम निर्धारित होगा।

9. **<u>आम सभा</u>** - आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आमसभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जायगी एवं इसकी विडियोग्राफी करायी जायेगी।

सेविका/सहायिका के चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से एक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिले के बेवसाईट/बाल विकासं परियोजना कार्यालय/प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जायेगा, तत्पश्चात आम सभा में यदि दावा/आपत्ति प्राप्त होती है तो आम सभा में ही उसका निराकरण किया जायेगा। आम सभा में चयन के क्रम में सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर चयन पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से <u>एक</u> वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा एवं दिव्यांग को मेधा अंक के प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। (न्युनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिए एवं उसे ऑगनबाड़ी केन्द्र के कार्यो के लिए सक्षम होना चाहिये। सक्षम प्राधिकार से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।) यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक उत्तीर्ण आँगनवाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्रमानुसार अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। चयन के बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

10. **<u>प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच</u>** - मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित आँगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच चयन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। चयनित आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका को प्रशिक्षण में भेजा जायेगा, परन्तु मानदेय का भुगतान प्रमाण पत्रों की जॉच/सत्यापन के पश्चात ही किया जायेगा। यदि 45 दिनों के अंदर संबंधित निर्गत प्राधिकार से प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्वयं जाकर अथवा अपने अधीनस्थ नियमित कर्मी को भेज कर सत्यापित करायेगी। मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को चयनमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि ऐसे मामलों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से हो जाय। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. **<u>चयन संबंधी शिकायत पत्र का निष्पादन</u>** - चयन से असंतुष्ट परिवादी आम सभा की तिथि से एक माह के अन्दर बाल विकास परियोजना कार्यालय में अपना परिवाद दे सकती है जिसके साथ साक्ष्य एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।चयनित ऑगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के संबंध में कोई भी शिकायत की सूचना प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्राप्त शिकायतों का निष्पादन दोनों पक्षों की सुनवाई कर अनिवार्य रूप से 30 दिनों के भीतर सुस्पष्ट एवं

मुखर आदेश पारित करेंगे। यदि निर्दिशष्ट समय-सीमा के अन्दर आदेश पारित नहीं होता है तो परिवाद स्वतः अपीलीय प्राधिकार के पास अग्रसारित हो जायेगी और संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

12. <u>अपील</u> - बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के भीतर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के यहाँ प्रथम अपील दायर की जा सकेगी। अपील दायर होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मुखर आदेश पारित करेंगे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के भीतर संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ पुनरीक्षण अपील दायर की जा सकती है तथा उनके द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा ससमय आदेश पारित नहीं करने की स्थिति में परिवाद स्वतः प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ अग्रसारित हो जायेगी और संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

13. <u>त्याग-पत्र</u> - ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना पर अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकती है जिस पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब निर्णय लिया जायेगा। उनके द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने की स्थिति में त्याग पत्र समर्पित किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के बाद इसे स्वतः प्रभावी मान लिया जायेगा। त्यागपत्र देने वाली ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को तीन वर्षो तक पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(अतुल प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव,
समाज कलयाण विभाग

परिशिष्ट–1

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2019

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और उस पर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें।

सेवा में,
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
....
....

पंचायत का नाम ....वार्ड सं0........................केन्द्र सं0..................................पद का नाम...

ध्यातव्यः उपयुक्त रिक्त आयतों को नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें

01 (i) नाम (हिन्दी में) [ ]

(ii) पति का नाम [ ]

(iii) पति का व्यवसाय कृषि [ ] व्यवसाय [ ] नौकरी [ ] अन्य [ ]

(iv) श्वसुर का नाम [ ]

(v) जन्मतिथि (अंकों में) दिन [ ] महीना [ ] वर्ष [ ]

(vi) क्या आप जनप्रतिनिधि है हॉ/ नहीं [ ] यदि हॉ तो व्यौरा दें ....

(vii) क्या आप कही नियोजित है हॉ/ नहीं [ ]

(viii) **आवेदिका की मासिक आय प्रति माह** [ ]

(ix) रिक्ति के प्रकाशन की तिथि ---------------- को उम्र Y M D [ ]

(x) दूरभाष सं0 [ ] मोबाईल नं0 [ ]

02 (i) मतदाता सूची में परिवार के मुखिया (पति/श्वसुर) का नाम कमांक [ ]
(ii) मतदाता सूची में आवेदिका का क्रमांक [ ]

03 स्थायी पता [ ]

जिला का नाम [ ] पिन कोड [ ]

राज्य [ ]

04 शैक्षणिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा मैट्रिक/अष्ठम	बोर्ड	संस्थान/विद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	उत्तीर्ण होने की श्रेणी	प्राप्तांक पूर्णांक (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर)	प्रतिशत

05 (i) क्या आप भारत के नागरिक है? [ ] 1 –हाँ 2 –नहीं (ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं? [ ] हाँ या नहीं लिखें

(iii) क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से है? [ ] 1 –हाँ 2 –नहीं (iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत में भरें? [ ]
02 – अ0जा0
03 – अ0ज0जा0
04 – अ0पि0व0
05 – पि0व0

(v) आपके संबंधित आरक्षित वर्ग के अधीन आपकी संबंधित जाति का नाम [ ]

06 (i) क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है? [ ] 1 –हाँ 2 –नहीं (ii) यदि हाँ, तो दिव्यांगता का स्वरूप अंकित करें [ ]
1 – नेत्रहीन
2 –बहरा, गूंगा
3 – शारीरिक विकलांग

(iii) दिव्यांगता का प्रतिशत [ ]
1 – 40% से अधिक
2 – 40% से कम

07 वैवाहिक स्थिति – [ ] विधवा [ ] परित्यक्ता [ ] विवाहित [ ] अन्य

08 क्या आपको किसी न्यायालय से दंडित किया गया है अथवा नहीं ? [ ] 1 –हाँ 2–नही

09 क्या आपको पूर्व में चयन रद्द किया गया है ? [ ] 1 –हॉ 2–नही **यदि हॉ तो कारण बतायें...............**

10 उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह : [ ]

__नोट__ :– आवेदन के साथ जमा किए गए प्रमाण पत्रों की प्रति (संबंधित पर सही का निशान लगायें)

मैट्रिक/अष्टम का प्रमाण पत्र [ ] मैट्रिक/अष्टम का अंक पत्र [ ] जाति प्रमाण पत्र [ ]

आवासीय प्रमाण पत्र [ ] विधवा प्रमाण पत्र [ ] दिव्यांगता प्रमाण पत्र [ ]

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही है। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान : .... आवेदिका का

दिनांक : .... हस्ताक्षर : हिन्दी में [ ]

टिप्पणी – आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें। मूल प्रति वार्ड की आम सभा में प्रस्तुत करें।

....

(प्राप्ति रसीद)

श्रीमती ....पति का नाम–.. पंचायत .... वार्ड सं0 .... केन्द्र सं0...आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका/सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

दिनांक– प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर,

स्थान– पूरा नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट– '2'

सेविका/सहायिका के चयन हेतु मेधा सूची का प्रपत्र

कार्यालय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,.. जिला ....

आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम :... .... वार्ड संख्या :..

केन्द्र कोड संख्या :...रिक्त पद –..

क0 स0	अभ्यर्थी का नाम	पति/ससुर का नाम	पता	जाति	जन्म तिथि	मैपिंग पंजी कमांक	मैट्रिक/अष्टम के उत्तीर्ण का संस्थान	मैट्रिक/अष्टम प्राप्तांक/पूर्णाक	मैट्रिक/ अष्टम में प्राप्तांक का प्रतिशत	वेटेज अंक			कुल मेधा अंक	अभ्युक्ति
										विधवा	दिव्यांगता	सहायिका		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

महिला पर्यवेक्षक
–सह–
सदस्य सचिव
चयन समिति

पंच/**मनोनित सदस्य**
–सह–
उपाध्यक्ष
चयन समिति

वार्ड आयुक्त/वार्ड सदस्य
–सह–
अध्यक्ष
चयन समिति

(नोट – सेविका पद हेतु मैट्रिक एवं सहायिका पद हेतु अष्ठम)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका / सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2019)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.. जिला......... ....

ज्ञाप सं0–.. दिनांक......... ....

चयन पत्र

1. श्रीमती..पति..जो, वार्ड सं0 .... पो0 .... की स्थायी निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका के रूप में ग्राम / टोला / मुहल्ला..................... ....पंचायत.............................वार्ड सं0..........................के आँगनबाड़ी केन्द्र (कोड सहित)....................के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक.................................को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका / सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका– 2019 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयो सूचनाओं / प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका / सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनः चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका / सहायिका मानदेय आधारित सामाजिक कार्यकर्त्ता है, जो नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं है। सेविका / सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र अन्तर्गत कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

दिनांक :–

स्थान :–

महिला पर्यवेक्षक का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

प्रतिलिपि– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ... / बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, ... को सूचनार्थ प्रेषित।

महिला पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर